

सं०सं०-1/विविध-11/2018-130(1)ब०  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव- सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 26 / 03 / 2018

**विषय:-** केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत नवनिर्मित 09 (नौ) ए०एन०एम० स्कूलों में आवागमन की सुविधा, मशीन उपकरण, AV Aids, किताबें, कम्प्यूटर एवं फर्नीचर आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 10,02,60,000/- (रुपये दस करोड़ दो लाख साठ हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 10,02,60,000/- (रुपये दस करोड़ दो लाख साठ हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-365(1) दिनांक-26.03.2018 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत नवनिर्मित 09 (नौ) ए०एन०एम० स्कूलों में आवागमन की सुविधा, मशीन उपकरण, AV Aids, किताबें, कम्प्यूटर एवं फर्नीचर आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 10,02,60,000/- (रुपये दस करोड़ दो लाख साठ हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 10,02,60,000/- (रुपये दस करोड़ दो लाख साठ हजार) मात्र का आवंटन दी जाती है।

2- यह कार्य कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना, राज्यादेश सं०-365(1) दिनांक-26.03.2018 में निहित शर्तों के आधार पर करायेंगे।


3- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5- राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0201-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी०एफ०एम०एस० कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210030510201 अंतर्गत विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं, बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० खाता सं०-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में जमा कर कार्य को विधिवत् सम्पादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

क्रमशः




7- राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9- राशि की अग्रिम निकासी में मा0 मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-11/2018- 130(1)ब0 /स्वा0,पटना, दिनांक- 26/03/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 6/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

सं0सं0-1/विविध-11/2018- 365(1)

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 26 / 03 / 2018

विषय— केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत नवनिर्मित 09 (नौ) ए0एन0एम0 स्कूलों में आवागमन की सुविधा, मशीन उपकरण, AV Aids, किताबें, कम्प्यूटर एवं फर्नीचर आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 10,02,60,000/- (रुपये दस करोड़ दो लाख साठ हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत नवनिर्मित 09 (नौ) ए0एन0एम0 स्कूलों में आवागमन की सुविधा, मशीन उपकरण, AV Aids, किताबें, कम्प्यूटर एवं फर्नीचर आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 10,02,60,000/- (रुपये दस करोड़ दो लाख साठ हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है—

Sl. No.	Name of the Districts /locations where ANM Schools to be opened	Amount (In Rs.)
1	Rajauli, Nawada	1,11,40,000/-
2	Mairwa, Siwan	1,11,40,000/-
3	Daudnagar, Aurangabad.	1,11,40,000/-
4	Bhabua, Kaimur	1,11,40,000/-
5	Khagaria	1,11,40,000/-
6	Lakhisarai	1,11,40,000/-
7	Triveniganj, Supoul	1,11,40,000/-
8	Sheohar	1,11,40,000/-
9	Lakshmipur, Jamui	1,11,40,000/-
<b>Total-</b>		<b>10,02,60,000/-</b>


2— उक्त कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना द्वारा निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए करायेंगे—

(क) राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों एवं अन्य वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

क्रमशः



(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

(छ) राज्य योजनान्तर्गत उपरोक्त वर्णित ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विभागीय राज्यादेश सं0-43(1) दिनांक-09.10.2018 एवं आवंटनादेश सं0-85(1)ब0 दिनांक-09.01.2018 द्वारा चहारदीवारी निर्माण एवं फर्नीचर आदि कार्यो हेतु रु0 9,55,60,700/- (रुपये नौ करोड़ पचपन लाख साठ हजार सात सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराया गया है। यह कार्य बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना द्वारा कराया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि फर्नीचर के क्रय में Duplication न हो एवं संस्थान की शेष आवश्यकतानुरूप ही अतिरिक्त फर्नीचर का क्रय करेंगे।

3- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


5- राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0201-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9157, विपत्र कोड-20-4210030510201 अंतर्गत विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं, बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 खाता सं0-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में जमा कर कार्य को विधिवत् सम्पादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

7- राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

8- प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक-20.03.2018 के योजना क्रमांक-1 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

9- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/विविध-11/2018 के पृष्ठ-5.../टि0 पर प्राप्त है।




10- प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग की सहमति सं0सं0-1/विधि-11/2018 के पृष्ठ-5/टि0 पर प्राप्त है।

11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन ।

  
26/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विधि-11/2018- 365(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 26/03/2018

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 6/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
26/3/18

सरकार के विशेष सचिव